भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1302

06 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान योजना में काश्तकारों को शामिल करना

1302 श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डीः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की कितनी किस्तें जारी की गई हैं;

(ख) आज की तिथि तक पीएम-किसान योजना से कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(ग) पीएम-किसान योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों को शामिल करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) आज की तिथि तक पीएम-किसान योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि संवितरित की गई है, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पीएम-किसान योजना में काश्तकारों को भी शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फरवरी 2019 में आरम्भ किया गया था। इस योजना के तहत किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलियों की भागीदारी के पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने शुरुआत से अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ वितरण किया है।

(ग): भारत सरकार, इस योजना में सभी छूटे हुए पात्र किसानों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के लिए सरकार ने कई अभियान चलाए हैं। 15 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत, विस्तृत स्तर पर सैचुरेशन ड्राइव चलाया गया, जिसमें 1 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को योजना में शामिल किया गया। भारत सरकार द्वारा जून, 2024 से एक अतिरिक्त सैचुरेशन ड्राइव भी चलाया गया और नई सरकार के प्रथम 100 दिनों के भीतर 25 लाख से अधिक पात्र किसानों को योजना में शामिल किया गया। सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों से 18वीं किस्त में लाभ पाने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 9.58 करोड़ हो गई है।

इसके अलावा, एक समर्पित पीएम-किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप को विकसित किया गया, जो स्व-पंजीकरण, लाभ स्टेटस ट्रैकिंग और फेशियल ऑथेन्टकैशन आधारित ई-केवाईसी जैसी सेवाएं प्रदान करता है, जोकि जून, 2023 में शुरू किया गया था। दूरदराज के इलाकों में किसान फेस स्कैन के ज़रिए ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं, जिसमें दुसरे किसानों की भी ई-केवाईसी करने में सहायता करने का प्रावधान है। पंजीकरण की सुविधा और अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 5 लाख से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को शामिल किया गया है। इसके अलावा, पोर्टल पर एक मज़बूत शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना की गई और एआई चैटबॉट, किसान-ईमित्र, सितंबर, 2023 में लॉन्च किया गया, जो कि भुगतान, पंजीकरण और पात्रता के बारे में स्थानीय भाषाओं में तुरंत प्रश्नों का समाधान प्रदान करता है।

(घ): पीएम-किसान के तहत अब तक वितरित की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ङ.) एवं (च): वर्तमान में, इस योजना को टेनेन्ट किसानों तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रा.स.अता.प्र.सं.1302

अनुबंध

पीएम-किसान के अंतर्गत अब तक वितरित की गई राशि का राज्य-वार विवरण

#	राज्य	जारी की गई राशि (करोड़ में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	53.96
2	आंध्र प्रदेश	16,633.09
3	अरुणाचल प्रदेश	288.47
4	असम	6,274.58
5	बिहार	25,497.69
6	चंडीगढ़	1.30
7	छत्तीसगढ	9,092.79
8	दिल्ली	46.17
9	गोवा	27.87
10	गुजरात	18,940.74
11	हरियाणा	6,138.13
12	हिमाचल प्रदेश	3,102.12
13	जम्मू और कश्मीर	3,490.45
14	झारखंड	7,259.39
15	कर्नाटक	17,102.79
16	केरल	11,170.59
17	लद्दाख	60.86
18	लक्षद्वीप	5.97
19	मध्य प्रदेश	26,908.55
20	महाराष्ट्र	33,815.70
21	मणिपुर	846.71
22	मेघालय	483.32
23	मिजोरम	395.65
24	नागालैंड	635.60
25	ओडिशा	11,423.77
26	पुदुचेरी	34.08
27	पंजाब	5,569.63
28	राजस्थान	23,279.75
29	सिक्किम	54.28
30	तमिलनाडु	11,365.36
31	तेलंगाना	12,357.97
32	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	46.44
33	त्रिपुरा	797.39
34	उत्तर प्रदेश	79,499.75
35	उत्तराखंड	2,916.44
36	पश्चिम बंगाल	10,418.00
	कुल	**3,46,035.32**

*****